Proposals submitted by Tobacco Institute of India

3856. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there was any representation received from Tobacco Institute of India;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether there was any discussion held in the institute;

(d) if so, what is the outcome thereof; and

(e) what are the details of action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (e) The proposals of the Tobacco Institute of India contained in their brochures titled "Tobacco-India's Global Opportunity" and "Tobacco—India's Potential in Exports", were discussed by the Tobacco Board in its meeting held on 28-1-93. The Board decided that the Institute should further amplify these proposals.

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेशों में कार्यरत कार्यालय

3857. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन बाहरी देशों में उनके मंत्रालय के अधीन कार्यालय इस समय कार्य कर रहे हैं और उनमें कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और वे अधिकारीगण कितने समय से वहां पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यालयों द्वारा आयात एवं निर्यात के संबंध में और अनिवासी भारतीयों को व्यापारिक सुविधा प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वे देश जहां मंत्रालय के कार्यालय कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार हैं : सिंगापुर, रूस, यू.के., जर्मनी, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, डेनमार्क, यूएई, जिम्बाब्वे, जापान, थिरुवनन्तपुरम तथा जार्डन । इन मंत्रालयों के इन देशों में से कुछ में विदेशी कार्यालय हैं, वह इस प्रकार है : सिरामिक एंड केमिकल ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीमकम-सीमी), स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी), प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (पीईसी), इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (इटपो), टी बोर्ड, स्पाइस उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एसपीडा) ।

वहां कार्यरत अधिकारियों के विवरण संलग्न हैं ।

(ख) तथा (ग) केवल अनिवासी भारतीयों के ही लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं तैयार की गई हैं, किन्तु भारतीय निर्यातकों को दी जाने वाली विशिष्ट सहायताएं अनिवासी भारतीयों को भी प्रदान की जाती हैं, जैसे भारत में उत्पादों के स्रोत पता करने में सलाहता, उत्पाद जानकारी के बारे में सलाह, प्रदर्शनियों एवं प्रतिनिधिमंडल भारत बुलाना, भारत की औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों, विभिन्न संसाधन क्षेत्रों के बारे में जानकारी तथा देश से निवेश के लिए अन्य सुविधाएं, आदि ।